न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– दिनेश कुमार यादव, जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या–26/2012

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		रफीक तेली पुत्र इब्राहिम खां तेली, निवासी राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, अस्पताल रोड पदुकलां तहसील मेडता

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री रामजीवन बेनीवाल प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन)
2. अप्रार्थी की ओर से श्री भगवानसिंह राठौड एडवोकेट।

निर्णय दिनांक– 03-10-2019

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 4 में अंकित 16 घरेलू एवं 1 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया एवं प्रार्थी की ओर से गवाह विनय कुमार शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा जाति शर्मा मुकाम पोस्ट, जयपुर हाल प्रवर्तन निरीक्षक मेड़ता, भंवरलाल पुत्र गंभीरराम निवासी पादूंकला, जगदीश पुत्र पेमाराम मेघवाल निवासी पादुकंला, राजेन्द्र पुत्र पारसमल सैन निवासी पादूकंला, किस्तुरराम कानिस्टेबल पुलिस थाना पादुकंला, गजानन्द पुत्र प्रभुनारायण कानिस्टेबल पुलिस थाना पादूकंला, के शपथ पत्र पेश किये गये।
2. वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से **प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल** ने बहस में कथन किया कि दिनांक 12.01.2012 को मुखबिर से सूचना मिली कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, अस्पताल रोड पादुकलां के पास स्थित श्री रफीक तेली पुत्र श्री इब्राहिम तेली द्वारा स्वंय के मकान व किराये पर ली गई दुकान मे घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यापार तथा वाहनों में अवैध रूप से रिफिलिंग करता है। मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 12.01.2012 को श्री विनयकुमार शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, मेडता हमराह श्री दिलीप सोनी थानाधिकारी पादुकलां, श्री किस्तुराराम कानिस्टेबल नं. 177, श्री संदीपकुमार कानिस्टेबल नं. 768, श्री गजानन्द कानिस्टेबल नं. 1385, श्री श्यामसुन्दर मैनेजर मैसर्स चारभुजा भारत गैस मेडतासिटी, श्री महेन्द्र सिंह डिलीवरी मैन के साथ श्री रफीक तेली द्वारा किराये पर लिये गये श्री धारूराम रैगर के बाडे में मौके पर उपस्थित गवाहानों श्री समनिवास पुत्र पूनाराम जाट नि.चून्दिया, श्री भंवरलाल पुत्र गंभीरराम जाट निवासी पादुकलां, श्री जगदीश पुत्र पेमाराम मेघवाल निवासी पादुकलां, श्री राजेन्द्र पुत्र पारसमल सैन निवासी पादुकलां तहसील मेडता के समक्ष आकस्मिक जांच की कार्यवाही की।
3. वक्त जांच श्री धारूराम पुत्र शिवराज जाति रैगर के बाडे में मौके पर श्री रफीक तेली उपस्थित मिले जिन्होने बाडे का निरीक्षण करवाया। बाडे में एक ओर कोने में 16 सिलेण्डर रखे हुए पाये गये। उक्त सिलेण्डरों को देखने पर सभी सिलेण्डरों पर गैस कम्पनी का मार्का नहीं पाया तथा पडौस में श्री समसुद्धीन पुत्र मांगू खां तेली की दुकान जिस पर शटर ताला लगा हुआ पाया गया। उक्त दुकान भी श्री रफीक तेली द्वारा किराये पर रखना बताया।
4. वक्त जांच श्री रफीक तेली द्वारा रूबरू उपस्थितान व मौतबिरान गोदाम का ताला खोला। गोदाम का निरीक्षण करने पर गोदाम में 61 गैस सिलेण्डर रखे हुए पाये गये। जिनमें बीपीसी के 14.2 कि.ग्रा. के 12 खाली व 1 भरा हुआ तथा 19 कि.ग्रा. का 1 वाणिज्यिक सिलेण्डर, इण्डेन कम्पनी के 14.2 कि.ग्रा. के 34 गैस सिलेण्डर भरे हुए व 9 खाली, एच.पी.सी. कम्पनी के 14.2 कि.ग्रा. के 3 भरे हुए एंव रिलायन्स कम्पनी का 15 कि.ग्रा. का 1 सिलेण्डर भरा हुआ पाया गया। इस प्रकार कुल 61 सिलेण्डरर्स

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

में से 39 गैस सिलेण्डर भरे हुए एंव 22 गैस सिलेण्डर खाली पाये गये तथा उक्त सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया। पास में ही स्थिति श्री रफीक तेली के आवासीय मकान को रूबरू उपस्थिानों के देखने पर एक रिफिलींग पम्प पाया गया। उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण के बारे में लाईसेन्स आदि के बारे में पुछताछ की गई तो लाईसेन्स नहीं होना बताया।

5. वक्त जांच राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, अस्पताल रोड पादुकलां के पास स्थित श्री रफीक तेली द्वारा किराये पर लिये गये श्री धारूराम पुत्र श्री शिवराज के बाडे एंव श्री समसुद्धीन पुत्र श्री मांगू खां तेली की दुकान में अवैध रूप से घरेलू एंव वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया हुआ पाया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

क्र. सं.	नाम गैस कम्पनी	गैस भराव क्षमता	भरे हुए	खाली
1	मार्का नहीं	14.2 Kg	16	-
2	बीपीसी	14.2 Kg	1	12
3	बी.पी.सी.	19.0 Kg	-	1
4	इण्डेन	14.2 Kg	34	9
5	एच.पी.सी.	14.2 Kg	3	-
6	रिलायन्स	15.0 Kg	1	-

6. इस प्रकार श्री रफीक तेली के किराये के बाडे, दुकान एंव स्वंय के घर में अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का भण्डारण कर रिफिलिंग पम्प के माध्यम से वाहनों में रिफिल कर व्यवसायिक दुरूपयोग करने की नियत से रखना, लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर– 2000 के खण्ड 3 (1) (b) (c), खण्ड 4 (1) (a) (b) (c), 2 खण्ड 6, खण्ड 7 (1) (a) की स्पष्ट अवेहलना की है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 4 में अंकित 76 घरेलू रसोई एंव 1 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों मय गैस को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर मै. चारभुजा गैस सर्विस, मेडता के मैनेजर श्री श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र श्री इन्द्रचन्द शर्मा की सुपुर्दगी में दिये जाने का कथन करते हुऐ पैरा नं. 4 में अंकित 76 घरेलू एंव 1 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए. में समपहरण **(Confiscate)** करने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

7. वकील अप्रार्थी श्री भगवानसिंह ने प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की मौके पर कोई जांच किसी भी प्रकार से नहीं की गयी। किसी व्यक्ति के अपने प्रतिष्ठान पर अपना घरेलू खाली सिलेण्डर भरवाने हेतु ले जाने के लिए कुछ देर के लिए रखने व अन्य कोई घरेलु सामान अपने प्रतिष्ठान पर रखने का अधिकार है जिसको बिना किसी आधार के काम में लेने का आरोप किसी भी सुरत में नहीं लगाया जा सकता है। जिससे अप्रार्थी या संबंधित खाताधारको को उनके जब्तसुदा सिलेण्डर लौटाया जाना उचित एवं न्याय संगत है। आस–पास के एरिये के लोगो को मेडता से आने वाली गैस सप्लाई से सिलेण्डर लेकर अपने गांव, ढाणी आदि तक ले जाने हेतु साधन नहीं मिल पाते है जिससे कुछ समय के लिए अप्रार्थी के यहां अपने खाली व भरे हुए सिलेण्डर रख देते है व संबंधित गैस एजेन्सी द्वारा भी ऐसी व्यवस्था की हुई है और ज्यों ही साधन मिलते है उपभोक्ता उसी दिन, उसी सांय को या दुसरे दिन अपने–अपने सिलेण्डर ले जाते है जिसमें किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस तरह का झुठा मामला नहीं बनाया जा सकता है इसलिए भी कार्यवाही हाजा निरस्त की जानी न्याय संगत है। प्रकरण हाजा के प्रवर्तन निरीक्षक को उक्त क्षेत्र के निरीक्षण का अधिकार नहीं है न ही उनकी नियुक्ति व अधिकार क्षेत्र बाबत किसी प्रकार का दस्तावेज ही पेश किया गया है ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही अधिकार विहिन होने से दुषित कार्यवाही की श्रेणी में आती है इसलिए भी आवेदन निरस्त होने योग्य है। फर्द निरीक्षण व फर्द अधिग्रहण सर्वथा गलत बनाई गई है खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा कर बाद में तैयार की गयी है। उक्त दस्तावेज मौके पर तैयार किया जाना साबित नहीं है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र नोटेरी से तस्दीकशुदा नहीं है। जिस स्थान बाड़ा एवं दुकान/गोदाम आदि उक्तानुसार गैस सिलेण्डर आदि जब्त करना बताया है, वह बाड़ा एवं दुकान/गोदाम आदि अप्रार्थी द्वारा किराये पर हुआ होना प्रार्थी द्वारा बताया है, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त बाड़ा एवं दुकान/गोदाम आदि अप्रार्थी द्वारा किराये पर लेने के

Scanned by CamScanner

संबंध में कोई किरायानामा, भाड़ा चिठ्ठी आदि पेश नहीं किये है, जिससे भी उक्त गैस सिलेण्डर आदि अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किया जाना नहीं माना जा सकता इसलिए भी आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर जब्तसुदा सिलेण्डर अप्रार्थी/खाता धारकों को लौटाये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–4 में अंकितानुसार 76 घरेलू एवं 1 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर को मय गैस के पाये गये। उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण व लाईसेन्स के बारें में अप्रार्थी को पूछताछ करने पर लाईसेन्स नहीं होना अवगत करवाया। जिस पर उक्त सभी गैस सिलेण्डरों को रूबरू मौतबिरान मौके पर से जरिये फर्द मौका जॉच व जब्ती दिनांक 12.01.2012 से जब्त किया गया एवं उक्त सभी गैस सिलेण्डरों को रूबरू मौतबिरान जरिये फर्द सुपुर्दगी दिनांक 12.01.2012 अनुसार श्री श्यामसुन्दर शर्मा मैनेजर श्री चारभुजा भारत गैस बीपीसी डीलर मेड़तासिटी को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिया जाना साबित है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तशुदा सभी गैस सिलेण्डर बिना किसी विधिक लाईसेन्स के अवैध रूप अपने कब्जे रखकर व्यवसायिक दुरूपयोग के उद्देश्य से भण्डारण किया जाना साबित है। वकील प्रार्थी का यह कथन कि आस–पास के एरिये के लोगो को मेडता से आने वाली गैस सप्लाई से सिलेण्डर लेकर अपने गांव, ढाणी आदि तक ले जाने हेतु साधन नहीं मिल पाते है जिससे कुछ समय के लिए अप्रार्थी के यहां अपने खाली व भरे हुए सिलेण्डर रख देते है व संबंधित गैस एजेन्सी द्वारा भी ऐसी व्यवस्था की हुई है और ज्यों ही साधन मिलते है उपभोक्ता उसी दिन, उसी सांय को या दुसरे दिन अपने–अपने सिलेण्डर ले जाते है जिसमें किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस तरह का झुठा मामला नहीं बनाया जा सकता है इसलिए भी कार्यवाही हाजा निरस्त की जानी न्याय संगत है। वकील अप्रार्थी का उक्त कथन किसी भी ठोस तथ्य पर आधारित नहीं है,जिसे माने जाने का कोई आधार नहीं है। इसके अलावा वकील अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाणिक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जा सके।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत प्रस्तुत किया गया यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जब्त सुदा कुल 77 गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है। उक्त जब्तशुदा 77 गैस सिलेण्डर मय गैस को उचित माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है एवं उक्तानुसार प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

10–निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 17:36:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: